**<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>**

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 511/2024

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

**बनाम**

01- नवीन पुत्र मोहनलाल, निवासी तुरकाड़िया,

02- भगवानसिंह पुत्र रामविलास, निवासी परपती,

03- देवेन्द्र पुत्र रामप्रताप, निवासी-माधोपुर, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण...

**<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>**

**<u>उपस्थितः-</u>**

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

**<u>निर्णय</u>** दिनांकः- 01-04-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 427, 34 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13-06-2024 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07-02-2023 को फरियादी राजू ने पुलिस थाना अकलेरा में उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह गांव गुराड़ी, पुलिस थाना छिपाबड़ौद जिला बांरा का रहने वाला है। दिनांक 10.04.2023 को उसके मामाजी श्यामलाल जी अर्जुनपुरा वालों की लड़की की शादी में मीणा धर्मशाला अकलेरा में आया था। रात्रि 12 बजे करीब प्रदीप मीणा जो उसका रिश्तेदार है। प्रदीप मीणा व नवीन मीणा डीजे वाला निवासी तुरकाड़िया के दोनों के आपस में गाड़ी की बात को गाड़ी निकालने के बारे में आपस में दोनों के बोलचाल हो गई थी। उसने इन दोनों को आपस में समझा दिया था फिर उसके बाद वह, प्रदीप मीणा व कालूलाल जी व गोलू मीणा वे चारों ही प्रदीप मीणा की गाड़ी स्कॉर्पियों जीसेक नम्बर आर.जे 20 यू.बी 1773 से वापस उनके गांव पर जा रहे थे। जैसे ही वे गाड़ी से भोपाल नाका चौराहे पर पहुंचे कि जैसे ही नवीन डीजे वाला निवासी तुरकाड़िया का जो 8, 10 व्यक्तियों को लेकर आया और उनकी गाड़ी को रोक लिया व गाड़ी में तोड़फोड़ करने लग गए। वह गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके साथ नवीन डीजे वाले ने उसके सिर में लठ की मारी और उसके सिर में खून निकल आया और वह उसके साथ वालों ने उसके साथ लात घुसों व लकड़ी से मारपीट करी जिससे उसके सिर में लग गई। उसके साथ वाले गाड़ी लेकर भाग गए। उसके बाद उसने, उसके साले जी के लड़के श्रीनिवास को

फोन किया जिसके बाद उसको ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल अकलेरा लेकर आया। उसके गले में पहन रखी सोने की चैन भी आमक झूमा में गिर गई। इन लोगों ने उसके साथ बिना वजह मारपीट की है। यह घटना रात्रि 12.30 एएम की है।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 209/2023, अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 427 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 427, 34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 427, 34 भा.दं.सं. के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. अकबर खान, पी.डब्ल्यू. 02 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू. 03 हेमराज, पी.डब्ल्यू. 04 दिनेश, पी.डब्ल्यू 05 गोलू उर्फ ईश्वर, पी.डब्ल्यू. 07 प्रदीप को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत पी. 8 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में घटना की ताईद नहीं की है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 10-04-2023 को समय रात 12 बजे लगभग मौजा मीणा धर्मशाला, अकलेरा में परिवादी रामस्वरूप को सदोष

अवरोध कारित कर उसके साथ स्वैच्छया कुन्दालय से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी रामस्वरूप की स्कॉर्पियो नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 1773 में तोड-फोडकर रिष्टी कारित की। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 341, 323, 427, 34 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह गांव गुराड़ी, पुलिस थाना छिपाबड़ौद जिला बांरा का रहने वाला है। दिनांक 10.04.2023 को उसके मामाजी श्यामलाल जी अर्जुनपुरा वालों की लड़की की शादी में मीणा धर्मशाला अकलेरा में आया था। रात्रि 12 बजे करीब प्रदीप मीणा जो उसका रिश्तेदार है। प्रदीप मीणा व नवीन मीणा डीजे वाला निवासी तुरकाड़िया के दोनों के आपस में गाड़ी की बात को गाड़ी निकालने के बारे में आपस में दोनों के बोलचाल हो गई थी। उसने इन दोनों को आपस में समझा दिया था फिर उसके बाद वह, प्रदीप मीणा व कालूलाल जी व गोलू मीणा वे चारों ही प्रदीप मीणा की गाड़ी स्कॉर्पियों जीसेक नम्बर आर.जे 20 यू.बी 1773 से वापस उनके गांव पर जा रहे थे। जैसे ही वे गाड़ी से भोपाल नाका चौराहे पर पहुंचे कि जैसे ही नवीन डीजे वाला निवासी तुरकाड़िया का जो 8, 10 व्यक्तियों को लेकर आया और उनकी गाड़ी को रोक लिया व गाड़ी में तोड़फोड़ करने लग गए। वह गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके साथ नवीन डीजे वाले ने उसके सिर में लठ की मारी और उसके सिर में खून निकल आया और वह उसके साथ वालों ने उसके साथ लात घुसों व लकड़ी से मारपीट करी जिससे उसके सिर में लग गई। उसके साथ वाले गाड़ी लेकर भाग गए। उसके बाद उसने, उसके साले जी के लड़के श्रीनिवास को फोन किया जिसके बाद उसको ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल अकलेरा लेकर आया। उसके गले में पहन रखी सोने की चैन भी आमक झूमा में गिर गई। इन लोगों ने उसके साथ बिना वजह मारपीट की है। यह घटना रात्रि 12.30 एएम की है।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें सर्वप्रथम गवाह फरियादी रामस्वरूप न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 02 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि घटना की तारीख, दिन, वार उसे याद नहीं है। घटना के समय उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस वालों से सलाह मशवरा करके रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके साथ मारपीट करने वालों को वह पहले से नहीं पहचानता था व न ही उनके नाम पते जानता था। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि धर्मशाला के पास में बारातियों में आपस में पत्थरबाजी हो गई थी। गाडत्री के टूट फाट के कोई फोटो वगै. नहीं खींचे थे। वे भागे थे जिससे वह गिर गया था। धर्मशाला के सामने खुरंजा हो रखा था। उस समय उन्होंने किसी को नहीं पहचाना था। आज भी वह मुल्जिमान को नहीं पहचानता।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. अकबर खान है, जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर प्रकरण में घटना के मजरूब रामस्वरूप के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उक्त सभी चोटें सख्त धरातल पर गिरने पड़ने से आना संभव है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 हेमराज व गवाह पी.डब्ल्यू. 03 दिनेश हैं जिन्हें अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिन्होंने एक स्वर में कथन किया है कि उन्होंने कोई घटना नहीं देखी। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 गोलू उर्फ ईश्वर व पी.डब्ल्यू. 06 प्रदीप दोनों ही गवाहान फर्द जप्ती नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 एवं फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी. 08 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि रामस्वरूप और ईश्वर ने शराब पी रखी थी। वे मुल्जिमान को पहले से नहीं पहचानते थे। धर्मशाला के बाहर एक लड़के को उन्होंने गाड़ी के आगे से हटाया था इस बात को लेकर धर्मशाला के बाहर भीड़ में कहासुनी हो गई थी। वे मुल्जिमान को पहले से कभी नहीं जानते थे। रामस्वरूप उनके मिलने वाला है इसी वजह से गवाही में उनका नाम लिखाया था।

14- इस प्रकार फरियादी सहित अन्य चश्मदीद साक्षीगण ने मुल्जिमान को पहचानने से साफ तौर पर इंकार किया है। सभी गवाहों ने अभिकथित किया है कि वे मारपीट करने वालों को पहले से नहीं जानते थे और ना ही आज जानते हैं। स्वयं फरियादी ने स्वीकार किया है कि धर्मशाला के पास खुरंजा हो रहा था जिस पर भागने से वह गिर गया था। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। प्रकरण के चिकित्सा अधिकारी ने मजरूब के आई चोटें गिरने पड़ने से आना संभव बताया है। प्रकरण में किसी भी गवाह की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं होता है।

15- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 10-04-2023 को समय रात 12 बजे लगभग मौजा मीणा धर्मशाला, अकलेरा में परिवादी रामस्वरूप को सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वैच्छया कुन्दालय से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी रामस्वरूप की स्कॉर्पियो नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 1773 में तोड-फोडकर रिष्टी कारित की। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 341, 323, 427, 34 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

16- अतः अभियुक्तगण 01- नवीन पुत्र मोहनलाल, निवासी तुरकाड़िया, 02- भगवानसिंह पुत्र रामविलास, निवासी परपती, 03- देवेन्द्र पुत्र रामप्रताप, निवासी-माधोपुर, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

**(आशीष मीना)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)**

18- निर्णय आज दिनांक 01-04-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

**(आशीष मीना)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)**

**<u>प्रमाण-पत्र</u>**

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

**(राजाराम मीना)**
**स्टेनो ग्रेड ।।।**

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।